प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.07.2026

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा जस्ट डायल ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट के नाम पर साइबर फ्रॉड करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 कीपैड मोबाइल फोन व 04 मोबाइल बिल बरामद ।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देश पर साइबर अपराध के पोर्टल द्वारा चिह्नित हॉट स्पॉट पर कार्यवाही के दौरान पोर्टल से प्राप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध में लिप्त 04 अभियुक्तों को थाना मुरादनगर क्षेत्र से दिनांक 21.07.2026 को गिरफ्तार किया गया । इन अभियुक्तों के पास से बरामद दस्तावेजों से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल राज्य की कुल 04 घटनाओं का खुलासा हुआ । इनके पास से घटना में प्रयुक्त 01 कीपैड मोबाइल फोन तथा 04 मोबाइल बिल बरामद हुए हैं ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम सभी ने मिलकर धोखाधडी कर लोगों को ठगने के लिये एक ग्रुप बनाया हुआ है । हम सभी मिलकर धोखाधडी कर आमलोगों से ऑनलाइन पैसा वसूलते हैं जिसके लिए सौरभ ने गुजरात महाराष्ट्र रोड लाइन नाम से जस्ट डायल नाम की बेवसाइट पर एक ट्रांसपोर्ट आईडी बनायी हुयी है जिस पर सौरभ फर्जी आईडी से प्राप्त किये हुए मोबाइल नंबर एड करता है। जस्ट डायल से हमें उन कस्टमर की लिस्ट मिल जाती है जिन्हें अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है । हम उन कस्टमर को फर्जी नंबरों से फोन करते हैं और कस्टमर को जो गाडी चाहिए होती है वो गाडी उपलब्ध कराने का वादा करते हैं । उसके बाद उन कस्टमर से जो भी किराया तय होता है उसका कुछ हिस्सा एडवांस में ले लेते हैं । हम कस्टमर से पहले किराए का 50 प्रतिशत किराया एडवांस के तौर पर डिमांड करते हैं जिसमें से कस्टमर हमें 10, 20 व 30 प्रतिशत तक किराया हमें एडवांस में ऑनलाइन पैमेंट कर देते हैं । वह पैसा हमारे द्वारा लोगों से धोखाधडी कर आईडी प्राप्त कर खुलवाये गये ऑनलाइन खातों में प्राप्त करते हैं । हम उन बैंक खातों में फर्जी आईडी पर प्राप्त किए हुए मोबाइल नंबर ही एड करते हैं जैसे ही कस्टमर हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर खाते में पैसा ट्रांसफर करता है । हम लोग उस खाते के एटीएम कार्ड से तुरंत पैसा निकाल लेते हैं जैसे ही खाते की शिकायत हो जाती है और उस खाते का लेन देन बन्द हो जाता है तो हम उस खाते का एटीएम कार्ड व खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर का सिम कार्ड व फोन तोडकर फेंक देते हैं । फर्जी सिम व फर्जी खाते उपलब्ध

कराने का काम दशमेश का है। दशमेश का सिम बेचने व सिम पोर्ट करने का काम है। दशमेश अपने गांव के अपने साथी विकास पुत्र चन्द्रपाल, अजय पुत्र ओमपाल, सुरजीत पुत्र राजाराम व विजय पुत्र ओमपाल के साथ गांव-गांव जाकर सिम बेचने व पोर्ट करने का काम करता है। दशमेश व उसके साथियों के पास जब कोई सिम खरीदने के लिए आता है तो दशमेश व उसके साथी विकास, अजय, विजय व सुरजीत गांव के उन भोले भाले लोगों की आईडी पर 2- 3 सिम एक्टिवेट कर देते है व उनकी आईडी प्राप्त कर लेते है, दशमेश के पास NSDL पेमेंट बैक की आईडी भी है जिससे दशमेश गांव के व्यक्तियों की धोखाधडी से प्राप्त आईडी के आधार पर ऑनलाइन खाता खोलकर उसमें फर्जी आईडी पर प्राप्त मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर देता है व अपनी दुकान अथवा दिए गए पते पर उन खातों के एटीएम प्राप्त कर लेता है फिर उन खातों को दशमेश व उसके साथी हम लोगों को उपलब्ध कराते है। सौरभ एक खाते व सिम के लिए दशमेश व उसके साथियों को 4000 रुपये देता है, जस्ट डयल से कस्टमर के नंबर प्राप्त कर सौरभ अभिषेक व राकेश फर्जी आईडी पर लिये गये सिमों से उन्हें जगह बदल बदल कर कॉल करते हैं व कॉल करने के लिए हम कीपैड के सस्ते फोन प्रयोग करते हैं जैसे ही शिकायत होती है तो हम लोग फर्जी सिम कार्ड व मोबाइल फोन को तोडकर फेंक देते हैं। दूसरे कस्टमर को कॉल करने के लिए दूसरा सिम व फोन प्रयोग करते हैं, हम लोग कस्टमर को किसी रास्ते के पास खाली जगह पर बैठकर या सड़क पर चलते फिरते कॉल करते हैं जिससे हमारी लोकेशन ट्रैस न हो पाये। हम लोगों ने जो मोबाइल नम्बर प्रयोग किये है उनके खिलाफ कई सारी शिकायतें हो रखी है। हम लोग फिर से यहां पर जगह बदलकर लोगों को कॉल कर धोखाधड़ी कर पैसे ऐंठने के लिए इकट्ठा हुए थे कि आप लोगों ने आकर पकड़ लिया। सौरभ से बरामद बिलों के बारे में जानकारी की गयी तो सौरभ ने बताया कि ये सब पहले खरीदे हुए कीपैड मोबाइल के बिल हैं जिनसे हम लोगों ने आमजनों के साथ धोखाधड़ी कर पैसे प्राप्त किए हैं। इन बिलों पर जो मोबाइल नम्बर लिखे हुए हैं उन्हीं मोबाइल नम्बर से हमने लोगों को कॉल कर धोखाधडी से पैसे प्राप्त किए हैं। धोखाधडी से जो पैसा हम लोगों को प्राप्त होता है उसे हम सब मिलकर आपस मे बाँट लेते है। ये धोखाधडी का काम हम सब मिलकर काफी समय से कर रहे है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–</u>

1. सौरभ सिंह पुत्र रणधीर सिंह निवासी कृष्णा अंजली एनक्लेव मोरटा गाजियाबाद मूल पता- ग्राम गुडेरा पोस्ट छपरा थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।
2. राकेश सिंह पुत्र हरिलाल सिंह निवासी सांपला हरियाणा, मूल पता- गणेशपुर ग्रांट थाना मितौली जिला लखीमपुर खीरी, उम्र करीब 21 वर्ष।
3. अभिषेक अवस्थी पुत्र चन्द्रशेखर निवासी असालत नगर मुरादनगर गाजियाबाद, मूल पता- ग्राम गुडेरा पोस्ट छपरा थाना अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।
4. दशमेश पुत्र ओमकार निवासी ग्राम ग्योती पोस्ट व थाना हजरतपुर जिला बदायूं, उम्र करीब 23 वर्ष।

<u>वांछित अभियुक्तों का नाम व पता–</u>

1.विकास पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम ग्योती पोस्ट व थाना हजरतपुर जिला बदायूं
2.अजय पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम ग्योती पोस्ट व थाना हजरतपुर जिला बदायूं
3.सुरजीत पुत्र राजाराम निवासी ग्राम ग्योती पोस्ट व थाना हजरतपुर जिला बदायूं
3. विजय पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम ग्योती पोस्ट व थाना हजरतपुर जिला बदायूं

बरामदगी का विवरणः-

- घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन।
- 04 मोबाइल बिल।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उपरोक्त अभियुक्तगण से प्राप्त बरामद मोबाइल फोन/आईएमईआई न0 पर अलग-अलग राज्यों से साइबर फ्रॉड से सम्बंधित कई ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को शरण देने वाले 04 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

दिनांक 13.07.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी श्री आजाद प्रजापति निवासी रतिराम कॉलोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद ने नामजद तहरीर दी कि मेरे भाई विपिन को रास्ते में रोककर गाली गलौज देते हुए जान से मारने की नियत से गोली मार देना जिसकी जीटीबी अस्पताल दिल्ली में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-126(2)/352/109(1)/103(1)/3(5) बीएनएस में अभियुक्तगण 1.सोनू 2. ब्रहमपाल 3.सोनू की पत्नी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में नामजद अभियुक्तगण 1- ब्रहमपाल व 2- सोनू की पत्नी आशा को पूर्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। अभियुक्त सोनू पुत्र ब्रहमपाल लगातार फरार चल रहा है। दौराने विवेचना अभियुक्त के करीबी पडोसी /दोस्त 1. सतीश उर्फ पप्पू पुत्र शिवचरण सिंह निवासी करावल नगर दिल्ली 2. राहुल पुत्र वेदपाल निवासी अम्बेडकर कॉलोनी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर 3.बबली पत्नी शीशपाल मित्रा निवासी रतिराम कॉलोनी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना बॉर्डर गाजियाबाद 4. मीना पत्नी सतीश निवासी करावल नगर दिल्ली द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तारी से बचाने के लिये उसकी मदद करते हुये शरण देने के साक्ष्य पाये गये तथा उपरोक्त अभियोग में धारा 253 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 22.07.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में नामजद अभियुक्त सोनू को गिरफ्तारी से बचने में मदद करने वाले / अभियुक्त को शरण देने वाले 04 अभियुक्तगण 1. सतीश उर्फ पप्पू पुत्र शिवचरण सिंह निवासी करावल नगर दिल्ली 2. राहुल पुत्र वेदपाल निवासी अम्बेडकर कॉलोनी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर 3.बबली पत्नी शीशपाल मित्रा निवासी रतिराम कॉलोनी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना बॉर्डर गाजियाबाद 4. मीना पत्नी सतीश निवासी करावल नगर दिल्ली को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि मृतक विपिन रात्रि में बाइक से आ रहा था तो रतिराम कॉलोनी में विपिन का सोनू व सोनू के पिता व सोनू की पत्नी के साथ बाइक का हॉर्न बजाने को लेकर कुछ कहासुनी हो गयी थी। इसी बात पर सोनू द्वारा गोली मार दी गयी जो विपिन के पेट में लगी। जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी तथा गोली मारने वाला सोनू वहाँ से फरार हो गया उसके बाद हमने उसकी मदद की थी, सोनू तब से कभी कभी हमें फोन करता है व स्थिति के बारे में जानकारी करता रहता है व रुपया भी लेता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. सतीश उर्फ पप्पू पुत्र शिवचरण सिंह निवासी करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 50 वर्ष।

2.राहुल पुत्र वेदपाल निवासी अम्बेडकर कॉलोनी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष ।

3.बबली पत्नी शीशपाल मित्रा निवासी रतिराम कॉलोनी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 51 वर्ष।

4. मीना पत्नी सतीश निवासी करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 46 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू पुत्र ब्रहमपाल निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा एटीएम मशीन तथा कैश डिपॉजिट मशीन को हैक कर साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 04 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से 04 लाख रुपये, घटना के पैसों से खरीदी गई 01 स्कॉर्पियो कार, घटना में प्रयुक्त 01 सेंट्रो कार तथा साइबर अपराध में प्रयुक्त अन्य उपकरण बरामद।

घटना का विवरणः-दिनांक 21.07.2026 को छवि ऐरन, शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक शाखा राजेन्द्र नगर द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि राजेन्द्र नगर स्थित बैंक की कैश डिपॉजिट मशीन (सीडीएम) में दिनांक 27.06.2026 से 29.06.2026 के मध्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ (Tampering) कर मशीन को हैक करते हुए नकदी निकाल ली गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरणः-दिनांक 21/22.07.2026 की रात्रि में लोकल इनपुट, सीसीटीवी सर्विलांस एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन साहिबाबाद के पास बने अंडरपास से एटीएम मशीन हैक कर साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 04 लाख रुपये नगद, घटना के पैसों से खरीदी गई 01 स्कॉर्पियो कार, घटना में प्रयुक्त 01 सेंट्रो कार तथा साइबर अपराध में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे एटीएम एवं कैश डिपॉजिट मशीनों की पावर सप्लाई में पहले से स्मार्ट प्लग लगा देते थे, जिसे मोबाइल में इंस्टॉल एक ऐप के माध्यम से नियंत्रित करते थे। जब कोई ग्राहक मशीन में नकदी जमा करता अथवा निकासी करता था, उसी समय मशीन को हैक कर उसकी कार्यप्रणाली बाधित कर देते थे, जिससे नकदी मशीन की ट्रे अथवा ऊपरी हिस्से में फंस जाती थी। इसके बाद ग्राहक के चले जाने पर पेचकस एवं साइकिल की लोहे की तान से तैयार विशेष औजार की सहायता से मशीन खोलकर फंसी हुई नकदी निकाल लेते थे।

अभियुक्तों ने बताया कि वे अधिकांश वारदात बैंक खुलने से पहले अथवा अवकाश के दिनों में करते थे। गिरोह में अहसान एवं सिराज मशीन हैक करने का कार्य करते थे, जबकि आरिफ एवं रहीश आसपास निगरानी रखते थे ताकि किसी को संदेह न हो। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने राजेन्द्र नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक तथा केनरा बैंक की कैश डिपॉजिट मशीनों से भी इसी प्रकार लाखों रुपये की धोखाधड़ी की। अपराध से अर्जित धन से उन्होंने दूसरे राज्यों में वारदात करने हेतु स्कॉर्पियो कार खरीदी थी तथा बरामद 04 लाख रुपये भी इसी अपराध से अर्जित धनराशि का हिस्सा हैं। अभियुक्तों द्वारा दिल्ली, हरियाणा एवं महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की घटनाएं कारित करना स्वीकार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पताः-

1. अहसान पुत्र अकबर हाल निवासी एफ 298 मक्की मस्जिद जयपाल चौक शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश और मूल पता गांव पिनकुआ थाना पिनकुआ जिला नूँह (मेवात) हरियाणा उम्र करीब 27 वर्ष।

2. आरिफ पुत्र स्वं0 बबलू निवासी गली नं0 04 मुस्तफाबाद दिल्ली मूल पता बंगाली घाट पुलिस चौकी के पास कोतवाली मथुरा जिला मथुरा उम्र करीब 26 वर्ष।
3. सिराज उर्फ सिराजू पुत्र श्री अजमल निवासी जाड़ौली का दगरा गांव चौखा थाना पिनकुआ जिला नूँह (मेवात) हरियाणा उम्र करीब 34 वर्ष।
4. रहीश पुत्र श्री अयुब निवासी गांव पिनकुआ थाना पिनकुआ जिला नूँह (मेवात) हरियाणा उम्र करीब 22 वर्ष पीयूष जैन पुत्र संजीव जैन निवासी ए 20 फ्लेट नं0 105 शालीमार गार्डन एक्टेन्शन 1 शालीमार गार्डन थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 04 लाख रूपये
- 01 पेचकस
- साइकिल की तान का औजार,
- 01स्मार्ट श्री प्लग
- 02 मोबाइल फोन
- 01 एटीएम वीजा कार्ड आईसीआईसी बैंक
- 02 कार

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

- **अहसान** के विरुद्ध दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं थाना साहिबाबाद सहित कुल **11 अभियोग** पंजीकृत हैं।
- **आरिफ** के विरुद्ध थाना साहिबाबाद में **02 अभियोग** पंजीकृत हैं।
- **सिराज उर्फ सिराजू** के विरुद्ध महाराष्ट्र एवं थाना साहिबाबाद में कुल **04 अभियोग** पंजीकृत हैं।
- **रहीश** के विरुद्ध दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं थाना साहिबाबाद में कुल **08 अभियोग** पंजीकृत हैं।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त को चोरी की 01 मोटरसाईकिल सहित किया गिरफ्तार ।

दिनांक 21.07.2026 को थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग, गश्त एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान थाना लिंक रोड के मु0अ0स0 0303/2025 से सम्बन्धित चोरी का एक मो0सा0 (रजि. नं. DL7SCT5886) बी०176, पटेल नगर के पास से बरामद कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण</u> - अभियुक्तो द्वारा उक्त बरामद चोरी की मो0सा0 को कुछ समय पहले रामपुरी, गाजियाबाद से चोरी करना बताया तथा अभियुक्त इस मो0सा0 को अपने कहीं भी आने जाने के काम में इस्तेमाल कर रहा था बरामद मो0सा0 को बेचने के लिये ग्राहक की फिराक में जाते समय पुलिस ने पकड़ लिया।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

अभियुक्त के कब्जे से कुल 01 मो0सा0 बरामद।

<u>अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1. सलमान उर्फ डकारू पुत्र सलीम मूल निवासी गली न0 01 कैला खेडा, कैला भट्टा थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद, हाल पता बालाजी बिहार कालोनी थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

अभियुक्त सलमान उर्फ डकारू उपरोक्त के विरूद्ध पूर्व में थाना विजयनगर, थाना कोतवाली गाजियाबाद पर अवैध शस्त्र, लूट, छिनैती आदि के कुल 09 अभियोग पंजीकृत है व अन्य आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम-</u>

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 22.07.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त अनीस पुत्र निजामुद्दीन निवासी पाल होटल के पीछे, पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी-छिपे दिल्ली से गांजा लेकर आता हूँ तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर आसपास के क्षेत्रों में राह चलते लोगों को अधिक दामों पर बेच देता हूँ तथा इन पैसों से अपने शौक पूरे करता हूँ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–</u>

अनीस पुत्र निजामुद्दीन निवासी पाल होटल के पीछे, पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-</u>

अभियुक्त अनीस के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-
थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **22.07.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 22.07.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	122
2.	ट्रांस हिण्डन	86
3.	ग्रामीण	95
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**303**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

साइबर सेल थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 2,38,952/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक **11.07.2026** को साइबर सेल थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा शिकायतकर्ता **ब्रजभूषण पुत्र निरंजन सिंह** निवासी भारत सिटी, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हुए साइबर फ्रॉड के संबंध में एनसीआरपी (NCRP) पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई। उक्त संबंध में साइबर सेल थाना टीला मोड द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता ब्रजभूषण उपरोक्त से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ठगी गई संपूर्ण धनराशि **2,38,952/- रुपये** वापस करायी गयी।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप साइबर सेल थाना टीला मोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी (NCRP) पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता **ब्रजभूषण पुत्र निरंजन सिंह** निवासी भारत सिटी थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हुए साइबर फ्रॉड में **2,38,952/- रुपये** धनराशि की ठगी के संबंध में शिकायत संख्या-**33107260165671** प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता ब्रजभूषण उपरोक्त के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को संबंधित एजेन्सी/बैंक को पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 22.07.2026 को शिकायतकर्ता ब्रजभूषण उपरोक्त को संपूर्ण धनराशि **2,38,952/- रुपये** वापस करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

स्वाट टीम अपराध शाखा, पुलिस कमिश्नरेट गा0बाद

आज दिनांक 22.07.2026 को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA), लखनऊ की टीम द्वारा पुलिस कमि० लखनऊ के थाना अमीनाबाद पर पंजीकृत मु०अ०सं० 056/2026 धारा 111/318 (4)/319 (2)/276/277/278 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ अरुण टूण्डा पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी गली नं० 5 शिव पुरम पूर्वी जनपद रुडकी, उत्तराखण्ड का लोकेशन गाजियाबाद में होने के कारण FSDA की टीम के सहयोगार्थ उच्चाधिकारीगणो के निर्देश पर स्वाट टीम काईम ब्राच गाजियाबाद को लगाया गया जिसमे कार्यवाही करते हुए FSDA की टीम व स्वाट टीम क्राईम ब्रांच गाजियाबाद की संयुक्त कार्यवाही में प्रकाश में आये अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ टूण्डा की निशादेही पर देवीपुर न्यू हाइवे रोड, परवाल क्षेत्र जनपद देहरादून उत्तराखण्ड में संचालित नामी दवा कम्पनीयो के नाम पर स्प्यूरियस (नकली) दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड किया गया। उक्त फैक्ट्री एक घर के अन्दर अवैध रुप से संचालित की जा रही थी जहाँ से भारी मात्रा में नकली दवाओं को बरामद किया गया। जिसमे Cipla Lupin, DR. Reddys, Elder, Micro, Mankind, Intas, Abbott, Sun Pharma, Aristo, Macleods और Zydus जैसी नामी दवा कम्पनीयो के नाम पर नकली दवाईयाँ बनाई जा रही थी। मौके पर स्थानीय थाना बसन्त विहार पुलिस व ड्रग निरीक्षक जनपद देहरादून के द्वारा उक्त फैक्ट्री व नकली दवाईयों के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा रही है।